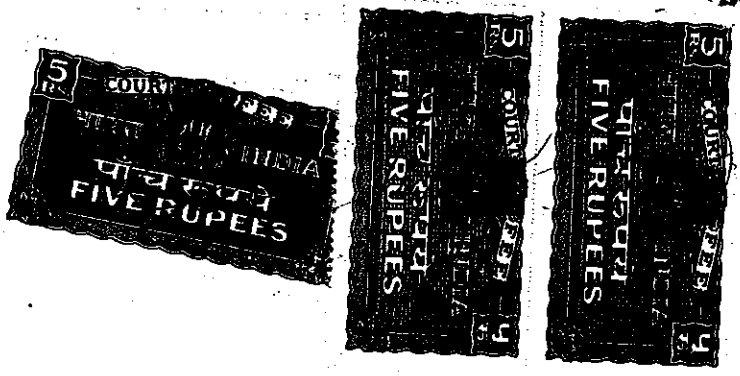

FIVE RUPEES

FIVE RUPEES

FIVE RUPEES

(108)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० । 2002 पुनरीक्षण — R-1909-II/2002

1- सरदारसिंह
2- गुलाबसिंह } पुत्रगण काशीराम यादव
3- प्रकाशसिंह

4- धूपसिंह पुत्र तोरनसिंह यादव

5- करोबाई विधवा पत्नी काशीराम यादव

समस्त निवासीगण ग्राम सिंघाड़ा तहसील मुंगावली जिला गुना -- आवेदकगण

विरूद्ध

1- घासीराम
2- बाबूलाल } पुत्रगण हरचन्द्र यादव

निवासीगण ग्राम सिंघाड़ा तहसील मुंगावली जिला गुना

3- लालसिंह पुत्र पूरनसिंह यादव

निवासी ग्राम पाटन तहसील मुंगावली जिला गुना ------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 20195-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-5-2002 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

AUG 2002

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1909–दो/02 जिला – गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 20/95–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 9–5–2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पेश कर अनावेदक के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा इन्द्राज किए जाने की मांग की । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन संहिता की धारा 115, 116 के तहत न आने से निरस्त किया । उनके आदेश की पुष्टि प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयों ने की है । द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका निरंतर वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है परंतु पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के स्वेच्छा से उकत प्रविष्टि को विलोपित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर आवेदकों ने आवेदन दिया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलीय न्यायालयों ने भी विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।	

R. 1909-B/02 (मुन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन कियाग या है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण कब्जा दर्ज करने के संबंध में है । विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण जो कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी हैं, उन्हें पक्षकार न बनाए जाने के कारण आवेदकों का आवेदन निरस्त किया गया है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । संहिता की धारा 115 एवं 116 के प्रावधानों के तहत कब्जे की नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो सवमर्ती निर्णय हैं वे औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उनमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाये । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	